उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्याः-26/2021/2737/आठ-3-21-06 महा0/2014
लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2509/8-3-06, दिनांक 02.06.2006, संख्या-3452/9-आ-3-2004-55 वि./2002 दिनांक 30.10.2004, संख्या-5102/8-3-05, दिनांक 17.10.2006, संख्या-55/8-3-2008-115 विविध/2007, दिनांक 05.01.2008, संख्या-2523/8-3-09, दिनांक 27.07.2009, संख्या-1943/8-3-10-107 विविध/10, 14.05.2010, संख्या-21/8-3-13-107 विविध/10, दिनांक 20.06.2013, संख्या-214/8-3-14-107 विविध/10, दिनांक 21.01.2014, संख्या-1172/8-3-14-107 विविध/10, दिनांक 19.06.2014, संख्या-1172/8-3-14-107 विविध/10, दिनांक 22.07.2014, संख्या-598/8-3-17-107 विविध/10, दिनांक 13.06.2017, संख्या-54/8-3-18-06 महा0/14, दिनांक 08.01.2018, संख्या-873/8-3-20-06 महा0/14, दिनांक 05.08.2020, संख्या-440/आठ-3-21-06 महा0/2014, दिनांक 03.02.2021, संख्या-909/आठ-3-21-170 विविध/2017, दिनांक 10.03.2021 तथा संख्या-1796/आठ-3-21-06 महा0/2014, दिनांक 02.07.2021 (यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-440/आठ-3-21-06 महा0/2014, दिनांक 03.02.2021) द्वारा विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित **शासकीय समिति** को सम्यक् विचारोपरान्त एतद् द्वारा निम्नवत् पुनर्गठित किया जाता हैः-

1.	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।	सदस्य
3.	अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य एवं संयोजक
6.	निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
7.	मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
8.	मुख्य/वरिष्ठ नगर नियोजक, संबंधित विकास प्राधिकरण	सदस्य
9.	श्री एन0आर0 वर्मा (तकनीकी सलाहकार), आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
9.	श्री जी0एस0 गोयल (सलाहकार), आवास बन्धु, उ0प्र0।	सदस्य
10.	प्रधानाचार्य, राजकीय आर्किटेक्चर कालेज, लखनऊ।	सदस्य

2- संबंधित अभिकरण द्वारा प्रारूप महायोजना/प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना को उक्त शासकीय समिति के परीक्षण हेतु संदर्भित किये जायेगें। शासकीय समिति द्वारा प्रारूप महायोजना/प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना के परीक्षणोपरान्त की संस्तुतियों/सुझावों को संबंधित अभिकरण द्वारा प्रारूप महायोजना/प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना में समावेशित किया जायेगा। तदोपरान्त प्रारूप महायोजना/प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना को अभिकरण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in मे सत्यापित की जा सकती है।

3- संबंधित अभिकरण द्वारा प्रारूप महायोजना/प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना पर अभिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रण की कार्यवाही की जाय। चूंकि महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में आमजन हितबद्ध होते है, अतएव प्रस्तावित महायोजना/क्षेत्रीय विकास महायोजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना आवश्यक है और आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु कम से कम 30 दिन की अवधि अवश्य निर्धारित की जाय। प्रस्तावित महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई तथा निस्तारण के उपरान्त यथासंशोधित महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना पर प्राधिकरण बोर्ड का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त उक्त शासकीय समिति को उपलब्ध कराया जाय।

4- उक्त शासकीय समिति द्वारा महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना का सम्यक परीक्षण उपर्युक्त उल्लिखित पत्रों के माध्यम से निर्गत निर्देश/चेक लिस्ट के आधार पर भी किया जाय और स्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः-26/2021/2737(1)/आठ-3-21-06 महा0/2014-तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय-ज्ञाप को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधित को अपने स्तर से तामील कराने का कष्ट करें।
8. सलाहकारगण, आवास बन्धु, उ0प्र0।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासकीय समिति के समक्ष प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण किये जाने हेतु चेकलिस्ट

(1) महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना की संरचना में शासन की विभिन्न नीतियों यथा-आवास नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, रेनवाटर हार्वेस्टिंग नीति, पर्यटन नीति, फिल्म नीति, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, तथा आपदा प्रबन्धन नीति, आदि के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति।

(2) महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित लैण्डयूज प्लान की अवस्थापना सुविधाओं यथा-यातायात एवं परिवहन प्रणाली, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, विद्युत आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि से सम्बद्धता।

(3) शासन एवं अर्द्धशासकीय विभागों/अभिकरणों द्वारा पूर्व स्वीकृत महायोजना के विपरीत किये गये विकास एवं निर्माण को पुनरीक्षित महायोजनान्तर्गत समायोजित किये जाने के औचित्य के संबंध में बोर्ड का निर्णय एवं संस्तुति।

(4) पूर्व स्वीकृत महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना की अविकसित रिक्त भूमि पर पुनरीक्षित महायोजनान्तर्गत नये भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के संबंध में औचित्य सहित बोर्ड का निर्णय एवं संस्तुति।

(5) महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जोनल डेवलपमेंट प्लान हेतु जोन्स के चिन्हांकन की स्थिति।

(6) प्रस्तावित महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में नये विकास क्षेत्र के समावेशन के फलस्वरूप पूर्व निकायों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों/ले-आउट के समायोजन का परीक्षण।

(7) संशोधित/पुनरीक्षित महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना की स्थिति में पूर्व स्वीकृत महायोजना के विपरीत किये गये विकास एवं निर्माण कार्यो का परीक्षण एवं विश्लेषण।

(8) पूर्व स्वीकृत महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में शासन द्वारा स्वीकृत भू-उपयोग परिवर्तनों के महायोजना में समायोजन की स्थिति।

(9) मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में आवश्यक समावेशन/अनुपालन की स्थिति।

(10) जिन नगरों में हवाई अड्डा स्थित है, वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया से सम्पर्क स्थापित कर फनल जोन का मानचित्र/विवरण प्राप्त कर महायोजना/जोनल प्लान के मानचित्र में चिन्हांकन की स्थिति।

(11) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सांविधिक नियमों और आदेशों (एयर फोर्स एरोड्रोम्स/इन्स्टालेशन्स के समीपवर्ती क्षेत्रों में निर्माण प्रतिबन्धित है, जिसकी दूरी अलग-अलग एयर फोर्स स्टेशन्स के लिए अलग-अलग निर्धारित की गयी है), के महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में अनुपालन की स्थिति।

(12) नदियों के ईको-सिस्टम के संरक्षण हेतु महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावों की उपयुक्तता। नदियों के किनारे स्थित नगरों की महायोजनाओं में नदी तट को संरेखित कर विभिन्न प्रस्ताव नदी तट के संरेखण के संदर्भ में ही दिये जायें। नदी तटबन्ध के निर्माण की दशा में नदी तट, तटबन्ध से ही परिभाषित होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(13) शासनादेश संख्या-957/आठ-3-2020 दिनांक 21.09.2020 तथा शासनादेश संख्या-977/आठ-3-2020 दिनांक 21.09.2020 द्वारा नदी तटीय विकास तथा नदी केन्द्रित महायोजनाएं तैयार किये जाने की स्थिति।

(14) 'दि एनशिएन्ट मानुमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वैलीडेशन) एक्ट, 2010' के अनुसार पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारकों/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100 मी0 परिधि (प्रोहिबिटेड एरिया) के अन्दर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है तथा इसके पश्चात 200 मी0 परिधि (रेगुलेटेड एरिया) के अन्दर कोई भी निर्माण की अनुज्ञा पुरातत्व विभाग की अनापत्ति के आधार पर देय होती है। अतः उक्त एक्ट के प्राविधानानुसार संरक्षित स्मारकों के चारों ओर प्रोहिबिटेड एरिया तथा रेगुलेटेड एरिया का भारतीय पुरातत्व विभाग के परामर्श से महायोजनाओं में चिन्हांकन की स्थिति।

(15) जिन नगरों मे सेना की फायरिंग रेन्ज स्थित है, उनकी महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में सेना संगठन के परामर्श तथा सुसंगत गजट नोटीफिकेशन के आधार पर 'डेन्जर जोन' के चिन्हांकन की स्थिति।

(16) महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना के विपरीत किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण को समायोजित करने के संबंध में सुसंगत शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में नियमितीकरण किये जाने हेतु उस बोर्ड का निर्णय एवं संस्तुति।

(17) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 मई, 1999 द्वारा ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना में ताज ट्रैपेजियम जोन का भी चिन्हांकन किया गया है। अतः ताज ट्रैपेजियम जोन में स्थित नगरों की महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजना की संरचना में उक्त ताज ट्रैपेजियम की अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति।

(18) जिन विकास क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, रिजर्व फारेस्ट अथवा पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्य संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं, महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग के सुसंगत गजट नोटिफिकेशन व परामर्श के आधार पर ऐसे क्षेत्रों के चिन्हांकन की स्थिति।

(19) मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों में क्रम में महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना के विरूद्ध किये गये विकास/निर्माण पर अंकुश लगाने, ग्रीनबेल्ट का मूल स्वरूप बनाये रखने तथा हेरिटेज क्षेत्रों के संरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या-355/आठ-3-2004-215 काम्प/2003, दिनांक 29.01.2004 में निहित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति।

(20) विकास क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों, झीलों का चिन्हित कर महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजना में उनके अनिवार्य संरक्षण हेतु प्राविधानों की स्थिति।

(21) URDPFI गाइड लाइन्स के अनुसार भू-उपयोगों का निर्धारण व भू-उपयोगों की परस्पर सह-सम्बन्धता (Co-relation)।

(22) महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना के मानचित्र पर आपत्ति/सुझाव समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।